



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3336/SEIAA/2022

Date: 16/3/22

प्रति,

मेसर्स करम चन्द्र एसोसियेट,
प्रोपराईटर श्री संदेश कुमार जैन,
निवासी सिविल लाईन, जिला कटनी (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्रमांक 8272/2021 - परियोजना प्रस्तावक मेसर्स करम चन्द्र एसोसियेट, प्रोपराईटर श्री संदेश कुमार जैन, निवासी सिविल लाईन, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि) उत्पादन क्षमता 500940 टन प्रति वर्ष, खसरा नं. 75/1 भाग, 75/2 भाग, 74भाग, 100 भाग,, 103/1भाग, 103/2भाग, 103/3भाग, 134 भाग, 135भाग, रकबा 26.570 हेक्टेयर, ग्राम सलैया पहराई, तहसील विजयराघवगढ़, जिला दतिया (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 709 वी बैठक दिनांक 07.03.2022 को चर्चा कर यह अभिलिखित किया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशांसा की गई है।

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 551वी बैठक दिनांक 17.02.2022 की अनुशांसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा आंशिक रूप से मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा दी गई पर्यावरणीय संवेदनशीलता की जानकारी अनुसार खदान क्षेत्र से 30 मीटर, 60 मीटर, 140 मीटर पर आबादी एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्र में 3 पिट का होना तथा पिट के समीप कई वृक्ष के होने का उल्लेख किया गया है।

उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता और माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय हैं) के दृष्टिगत प्रकरण में विस्तृत चर्चा उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगामी SEIAA बैठक में प्रस्तुतीकरण किया जाये।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन हेतु आपको सूचित किया जाता है SEIAA कि आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें।

olc (आलोक नाथक)
प्रभारी अधिकारी